

पत्रांक::जी.एस.टी./2018-19/

1819054/

828/वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/(वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की प्रयोज्यता संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की प्रयोज्यता संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में Circular N0-52/26/2018-GST दिनांक 09.08.2018 को जारी किया गया है।

उक्त परिपत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों को भी अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)

वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

F.No.354/255/2018-TRU (Part-2)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Tax Research Unit)

North Block, New Delhi

Dated, 9th August, 2018

To

Principal Chief Commissioners/ Principal Directors General,
Chief Commissioners/ Directors General,
Principal Commissioners/ Commissioners of Central Excise and Central Tax (All),
All under CBEC.

Madam/ Sir,

Subject: Clarification regarding applicability of GST on various goods and services-reg.

Representations have been received seeking clarification in respect of applicable GST rates on the following items:

- (i) Fortified Toned Milk
- (ii) Refined beet and cane sugar
- (iii) Tamarind Kernel Powder (Modified & Un Modified form)
- (iv) Drinking water
- (v) Plasma products
- (vi) Wipes using spun lace non-woven fabric
- (vii) Real Zari Kasab (Thread)
- (viii) Marine Engine
- (ix) Quilt and comforter
- (x) Bus body building as supply of motor vehicle or job work
- (xi) Disc Brake Pad

2. The matter has been examined. The issue-wise clarifications are discussed below:

3.1 **Applicability of GST on Fortified Toned Milk:** Representations have been received seeking clarification regarding applicability of GST on Fortified Toned Milk.

3.2 Milk is classified under heading 0401 and as per S.No. 25 of notification No. 2/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk falling under tariff head 0401 attracts NIL rate of GST. Further, as per HSN Explanatory Notes, milk enriched with vitamins and minerals is

classifiable under HSN code 0401. Thus, it is clarified that toned milk fortified (with vitamins 'A' and 'D') attracts NIL rate of GST under HSN Code 0401.

4.1 Applicable GST rate on refined beet and cane sugar: Doubts have been raised regarding GST rate applicable on refined beet and cane sugar. *Vide* S. No. 91 of schedule I of notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, 5% GST rate has been prescribed on all kinds of beet and cane sugar falling under heading 1701.

4.2 Doubts seem to have arisen in view of S. No. 32 A of the Schedule II of notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, which prescribes 12% GST rate on "All goods, falling under tariff items 1701 91 and 1701 99 including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes (other than those which attract 5% or Nil GST)".

4.3 It is clarified that by virtue of specific exclusion in S. No. 32 A, any sugar that falls under 5% category [at the said S. No. 91 of schedule I of notification No.1/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017] gets excluded from the S. No. 32 A of Schedule II. As all kinds of beet and cane sugar falling under heading 1701 are covered by the said entry at S. No. 91 of Schedule I, these would get excluded from S. No. 32 A of Schedule II, and thus would attract GST @ 5%.

4.4 Accordingly, it is clarified that beet and cane sugar, including refined beet and cane sugar, will fall under heading 1701 and attract 5% GST rate.

5.1 Applicable GST rate on treated (modified) tamarind kernel powder and plain (unmodified) tamarind kernel powder : Representation have been received seeking clarification regarding GST rate applicable on treated (modified) tamarind kernel powder and plain (unmodified) tamarind kernel powder.

5.2 There are two grades of Tamarind Kernel Powder (TKP):- Plain (unmodified) form (hot, water soluble) and Chemically treated (modified) form (cold, water soluble).

5.3 As per S. No. 76 A of schedule I of notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, 5% GST rate was prescribed on Tamarind Kernel powder falling under chapter 13. However, certain doubts have been expressed regarding GST rate on Tamarind kernel powder, as the said notification does not specifically mention the word "*modified*".

5.4 As both plain (unmodified) tamarind kernel powder and treated (modified) tamarind kernel powder fall under chapter 13, it is hereby clarified that both attract 5% GST in terms of the said notification.

6.1 Applicability of GST on supply of safe drinking water for public purpose: Representations have been received seeking clarification regarding applicability of GST on supply of safe drinking water for public purpose.

6.2 Attention is drawn to the entry at S. No. 99 of notification No. 2/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, by virtue of which water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed container] falling under HS code 2201 attracts NIL rate of GST.

6.3 Accordingly, supply of water, other than those excluded from S. No. 99 of notification No. 2/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, would attract GST at "NIL" rate. Therefore, it is clarified that supply of drinking water for public purposes, if it is not supplied in a sealed container, is exempt from GST.

7.1 **GST rate on Human Blood Plasma:** References have been received about the varying practices being followed in different parts of the country regarding the GST rates on "human blood plasma".

7.2 Plasma is the clear, straw coloured **liquid** portion of blood that remains after red blood cells, white blood cells, platelets and other cellular components have been removed. As per the explanatory notes to the Harmonized System of Nomenclature (HSN), plasma would fall under the description antisera and other blood fractions, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes and would fall under HS code 3002.

7.3 Normal human plasma is specifically mentioned at S. No. 186 of List I under S. No. 180 of Schedule I of the notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated 28th June, 2017, and attracts 5% GST. Other items falling under HS Code 3002 (including plasma products) would attract 12% GST under S. No. 61 of Schedule II of the said notification, not specifically covered in the said List I.

7.4 Thus, a harmonious reading of the two entries would mean that normal human plasma would attract 5% GST rate under List I (S. No. 186), whereas plasma products would attract 12% GST rate, if otherwise not specifically covered under the said List.

8.1 **Appropriate classification of baby wipes, facial tissues and other similar products:** Varied practices are being followed regarding the classification of baby wipes, facial tissues and other similar products, and references have been received requesting for correct classification of these products. As per the references, these products are currently being classified under different HS codes namely 3307, 3401 and 5603 by the industry.

8.2 Commercially, wipes are categorized into various types such as baby wipes, facial wipes, disinfectant wipes, make-up remover wipes etc. These products are generally made by using non-woven fabrics of viscose and polyviscous blend and are sprinkled with demineralized water and various chemicals and fragrances, which impart the essential character to the product. The base raw materials are moisturising and cleansing agents, preservatives, aqua base, cooling agents, perfumes etc. The textile material is present as a carrying medium of these cleaning/wiping components.

8.3 According to the General Rules for Interpretation [GRI- 3(b)] of the First Schedule to the Customs Tariff Act (CTA), 1975, "*Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.*" Since primary function of the article should be taken into consideration while deciding the classification, it is clear that the essential character of the wipes in the instant case is imparted by the components which are to be mixed with the textile material.

8.4 As per the explanatory notes to the HSN, the HS code 5603 clearly excludes non-woven, impregnated, coated or covered with substances or preparations such as perfumes or cosmetics, soaps or detergents, polishes, creams or similar preparations. The HSN is reproduced as follows : "*The heading also excludes:*

Nonwoven, impregnated, coated or covered with substances or preparations [i.e. perfumes or cosmetics (Chapter 33), soaps or detergents (heading 3401), polishes, creams, or similar preparations (heading 3405), fabric, softeners (heading 3809)] where the textile material is present merely as a carrying medium. Further, HS code 3307 covers wadding, felt and non-woven, impregnated, coated or covered with perfumes or cosmetics. The HS code 3401, would cover paper, wadding, felt and non-woven impregnated, coated or covered with soap or detergent whether or not perfumed".

8.5 Further, as per the explanatory notes to the HSN, the heading 3307 includes *wadding, felt and nonwovens impregnated, coated or covered with perfume or cosmetics*. Similarly, as per explanatory notes to the HSN, the heading 3401 includes *wipes made of paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, whether or not perfumed or put up for retail sale*.

8.6 Thus, the wipes of various kinds (as stated above) are classifiable under heading 3307 or 3401 depending upon their constituents as discussed above. Therefore, if the baby wipes are impregnated with perfumes or cosmetics, then the same would fall under HS code 3307 and would attract 18% GST rate. Similarly, if they are coated with soap or detergent, then it would fall under HS code 3401 and would attract 18% GST.

9.1 **Classification and applicable GST rate on real zari Kasab (thread):** Certain doubts have been raised regarding the classification and applicable GST rate on Kasab thread (a metallised yarn) as yarn falling under heading 5605 attracts 12% GST, as per entry 137 of the Schedule-II-12% of the notification No.01/2017-Central Tax (rate) dated 28.06.2017, while specified embroidery product falling under 5809 and 5810 attracts GST @ 5%, as per entry no. 220 of the Schedule-I-5% of the above-mentioned notification.

9.2 The heading 5809 and 5810 cover embroidery and zari articles. These heading do not cover yarn of any kinds. Hence, while these headings apply to embroidery articles, embroidery in piece, in strips, or in motifs, they do not apply to yarn, including Kasab yarn.

9.3 Further all types of metallised yarns or threads are classifiable under tariff heading 5605. Kasab (yarn) falls under this heading. Under heading 5605, real zari manufactured with silver wire gimped (vitai) on core yarn namely pure silk and cotton and finally gilted with gold would attract 5% GST under tariff item 5605 00 10, as specified at entry no. 218A of Schedule-I-5% of the GST rate schedule. Other goods falling under this heading attract 12% GST. Accordingly, kasab (yarn) would attract 12% GST along with other metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal including imitation zari thread (S. No. 137 of the Schedule-II-12%). Therefore, it is clarified that imitation zari thread or yarn known as "Kasab" or by any other name in trade parlance, would attract a uniform GST rate of 12% under tariff heading 5605.

10.1 **Applicability of GST on marine engine:** Reference has been received seeking clarification regarding GST rates on Marine Engine. The fishing vessels are classifiable under heading 8902, and attract GST @ 5%, as per S. No. 247 of Schedule I of the notification No. 01/2017-Central Tax (rate) dated 28.06.2017. Further, parts of goods of heading 8902, falling under any chapter also attracts GST rate of 5%, *vide* S. No. 252 of Schedule I of the said notification. The Marine engine for fishing vessel falling under Tariff item 8408 1093 of the Customs Tariff Act, 1975 would attract a GST rate of 5% by virtue of S. No. 252 of Schedule I of the notification No. 01/2017-Central Tax (rate) dated 28.06.2017.

10.2 Therefore, it is clarified that the supplies of marine engine for fishing vessel (being a part of the fishing vessel), falling under tariff item 8408 10 93 attracts 5% GST.

11.1 **Applicable GST rate on cotton quilts under tariff heading 9404-Scope of the term "Cotton Quilt".**

11.2 Cotton quilts falling under tariff heading 9404 attract a GST rate of 5% if the sale value of such cotton quilts does not exceed Rs. 1000 per piece [as per S. No. 257 A of Schedule I of the notification No. 01/2017-Central Tax (rate) dated 28.06.2017]. However, such cotton quilts, with sale value exceeding Rs.1000 per piece attract a GST rate of 12% (as per S. No. 224A of Schedule II of the said notification). Doubts have been raised as to what constitutes cotton quilt, i.e. whether a quilt filled with cotton with cover of cotton, or filled with cotton but cover made of some other material, or filled with material other than cotton.

11.3 The matter has been examined. The essential character of the cotton quilt is imparted by the filling material. Therefore, a quilt filled with cotton constitutes a cotton quilt, irrespective of the material of the cover of the quilt. The GST rate would accordingly apply.

12.1 **Applicable GST rate for bus body building activity:** Representations have been received seeking clarifications on GST rates on the activity of bus body building. The doubts have arisen on account of the fact that while GST applicable on job work services is 18%, the supply of motor vehicles attracts GST @ 28%.

12.2 Buses [motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver] fall under headings 8702 and attract 28% GST. Further, chassis fitted with engines [8705] and whole bodies (including cabs) for buses [8707] also attract 28% GST. In this context, it is

mentioned that the services of bus body fabrication on job work basis attracts 18% GST on such service. Thus, fabrication of buses may involve the following two situations:

a) Bus body builder builds a bus, working on the chassis owned by him and supplies the built-up bus to the customer, and charges the customer for the value of the bus.

b) Bus body builder builds body on chassis provided by the principal for body building, and charges fabrication charges (including certain material that was consumed during the process of job-work).

12.3 In the above context, it is hereby clarified that in case as mentioned at Para 12.2(a) above, the supply made is that of bus, and accordingly supply would attract GST @28%. In the case as mentioned at Para 12.2(b) above, fabrication of body on chassis provided by the principal (not on account of body builder), the supply would merit classification as service, and 18% GST as applicable will be charged accordingly.

13.1 Applicable GST rate on Disc Brake Pad: Representations have been received seeking clarification on disc brake pad for automobiles. It is stated that divergent practices of classifying these products, in Chapter 68 or heading 8708 are being followed. Chapter 68 attracts a GST rate of 18%, while heading 8708 attracts a GST rate of 28%.

13.2 Parts and accessories of motor vehicles of headings 8701 to 8705 are classified under heading 8708 and attract 28% GST. Further, friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials are classifiable under heading 6813 and attract 18% GST.

13.3 In the above context, it is mentioned that as per HSN Explanatory Notes, heading 8708 covers "Brakes (shoe, segment, disc, etc.) and parts thereof (plates, drums, cylinders, mounted linings, oil reservoirs for hydraulic brakes, etc.); servo-brakes and parts thereof, while Chapter 68 covers articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or similar materials. Further, HSN Explanatory Notes to the heading 6813 specifically excludes:

- i) Friction materials not containing mineral materials or cellulose fibre (e.g., those of cork);
- ii) Mounted brake linings (including friction material fixed to a metal plate provided with circular cavities, perforated tongues or similar fittings, for disc brakes) which are classified as parts of the machines or vehicles for which they are designed (e.g. heading 8708).

13.4 Thus, it is clear, in view of the HSN Explanatory Notes that the said goods, namely "Disc Brake pad" for automobiles, are appropriately classifiable under heading 8708 of the Customs Tariff Act, 1975 and would attract 28% GST.

14. Difficulty, if any, may be brought to the notice of the Board immediately. Hindi version shall follow.

Yours faithfully

Dr. Ajay K. Chikara
Technical Officer (TRU)

फा.सं०.354/255/2018-टीआरयू (Part-2)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(कर अनुसंधान इकाई)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, 9 अगस्त, 2018

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय कर (सभी) महानिदेशक-
प्रणालियां, सीबीईसी के अंतर्गत सभी ।

महोदया/महोदय,

विषय: विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की अनुप्रयोज्यता संबंधी स्पष्टीकरण -
के संबंध में ।

निम्नलिखित मदों पर लागू जीएसटी दरों के संबंध में स्पष्टीकरण हासिल किए जाने
हेतु अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है:

- (i) फोर्टिफाइड टोन्ड दूध
- (ii) परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी
- (iii) इमली कर्नेल पाउडर (संशोधित या असंशोधित)
- (iv) पीने का पानी
- (v) प्लाज्मा उत्पाद
- (vi) स्पनलेस गैर-बुने हुए कपड़े का उपयोग करने वाले वाइप्स
- (vii) असली ज़री कसाब (थ्रेड)
- (viii) समुद्री इंजन
- (ix) रजाई और कॉम्फोर्टर
- (x) मोटर वाहन या जॉब कार्य की आपूर्ति के रूप में बस बॉडी का निर्माण
- (xi) डिस्क ब्रेक पैड

2. मामले की जांच की गई है। मुद्दे-वार स्पष्टीकरणों पर चर्चा इस प्रकार है:

3.1 **फोर्टिफाइड टोन्ड दूध पर जीएसटी की उपयुक्तता:** फोर्टिफाइड टोन्ड दूध पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है।

3.2 दूध को शीर्ष 0401 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के क्र० सं० 25 के अनुसार, टैरिफ शीर्ष 0401 के अंतर्गत आने वाले अल्ट्रा हाई तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर सेपरेटेड दूध, दूध और क्रीम जो संकेंद्रित न हो और न ही अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ शामिल वाला हो सहित, ताजा दूध और पेस्चूराइज्ड दूध पर जीएसटी की शून्य दर लगती है। इसके अलावा, एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, विटामिन और खनिजों से समृद्ध दूध एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि टोन्ड मिल्क फोर्टिफाइड (विटामिन 'ए' और 'डी' के साथ) पर एचएसएन कोड 0401 के अंतर्गत जीएसटी की शून्य दर लगती है।

4.1 **परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी पर लागू जीएसटी दर:** परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी पर लागू जीएसटी दर के संबंध में संदेह किए गए हैं। अधिसूचना सं०. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र०सं०. 91 के अंतर्गत, शीर्षक 1701 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के चुकंदर और गन्ना चीनी पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की गई है।

4.2 अधिसूचना सं०. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची II की क्र०सं०. 32 क. के अनुसार, शंकाओं का उत्पन्न होना प्रतीत होता है, जो स्वाद या रंग की सामग्री वाली परिष्कृत चीनी, चीनी क्यूब्स (उनके अलावा जिन पर 5% या शून्य जीएसटी लगती है) शामिल है, टैरिफ मद 1701 91 और 1701 99 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत निर्धारित करती है।

4.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि क्र०सं०. 32 क में विशिष्ट बहिष्कार के आधार पर, कोई चीनी जो 5 प्रतिशत [अधिसूचना सं०. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की उक्त क्र०सं०. 91 पर] की श्रेणी के अंतर्गत आती है को

अनुसूची II की क्र०सं०. 32 क से बाहर रखा जाता है। चूंकि शीर्षक 1701 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के चुकंदर और गन्ना चीनी अनुसूची I में उक्त प्रविष्टि 91 के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें अनुसूची II की क्र०सं०. 32 क से बाहर रखा जाएगा, और इस प्रकार 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

4.4 तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी सहित चुकंदर और गन्ना चीनी शीर्षक 1701 के अंतर्गत आएंगे और इन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी।

5.1 ट्रीटेड (संशोधित) इमली कर्नेल पाउडर और प्लेन (असंशोधित) इमली कर्नेल पाउडर पर लागू जीएसटी दर: ट्रीटेड (संशोधित) इमली कर्नेल पाउडर और प्लेन (अनमोडीफाइड) इमली कर्नेल पाउडर पर लागू जीएसटी दर के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं।

5.2 इमली कर्नेल पाउडर (टीकेपी) के दो ग्रेड हैं:- प्लेन (असंशोधित) स्वरूप (गर्म, पानी घुलनशील) और रासायनिक रूप से ट्रीटेड (संशोधित) स्वरूप (ठंडा, पानी घुलनशील)।

5.3 अधिसूचना सं०. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र०सं०. 76 के अनुसार, अध्याय 13 के अंतर्गत आने वाले इमली कर्नेल पाउडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित थी। फिर भी, इमली कर्नेल पाउडर पर जीएसटी दर के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं, क्योंकि उक्त अधिसूचना विशेष रूप से "संशोधित" शब्द का उल्लेख नहीं करती है।

5.4 चूंकि प्लेन (असंशोधित) इमली कर्नेल पाउडर और ट्रीटेड (संशोधित) इमली कर्नेल पाउडर दोनों अध्याय 13 के अंतर्गत आते हैं, तो एतद्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों अधिसूचना के संदर्भ में 5% जीएसटी आकर्षित करते हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार, दोनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

6.1 सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पर जीएसटी की अनुप्रयोज्यता: सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पर जीएसटी की

अनुप्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग किए जाने वाले अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं ।

6.2 अधिसूचना सं०. 2/2017-केन्द्रीय (कर) दिनांक 28.06.2017 की क्र०सं०. 99 पर प्रविष्टि के प्रति ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसके आधार पर एचएस कोड 2201 के अंतर्गत आने वाले वॉटर [वाष्पित कंटेनर में वाष्पित, खनिज, शुद्ध, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, डी-खनिज और पानी के अलावा] पर जीएसटी की शून्य दर लगती है ।

6.3 तदनुसार, अधिसूचना सं०. 2/2017-केन्द्रीय (कर) दिनांक 28.06.2017 की क्र०सं०. 99 से उन छोड़े गए वॉटर के अलावा, वॉटर की आपूर्ति पर "शून्य" दर पर जीएसटी लगेगी । अतः, यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए पेयजल की आपूर्ति, जो मुहरबंद कंटेनर में आपूर्ति नहीं किया गया हो, को जीएसटी से छूट प्राप्त है ।

7.1 मानव रक्त प्लाज्मा पर जीएसटी दर: "मानव रक्त प्लाज्मा" पर जीएसटी दरों के संबंध में देश के विभिन्न भागों में होने वाली विभिन्न प्रथाओं के बारे में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

7.2 प्लाज्मा रक्त का स्पष्ट, भूरे रंग का तरल भाग है, जो लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट और अन्य सेलुलर घटकों को हटा दिए जाने के बाद बची रह जाती है। नामकरण की हार्मोनाइज्ड-प्रणाली (एचएसएन) के व्याख्यात्मक नोट्स के अनुसार, प्लाज्मा एंटीसेरा की व्याख्या के अंतर्गत आएगा और अन्य रक्त भिन्नताओं, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से चाहे संशोधित अथवा हासिल किया गया हो या नहीं, और एचएस कोड 3002 के अंतर्गत आएंगे ।

7.3 सामान्य मानव प्लाज्मा अधिसूचना सं०. 1/2017 -केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची I की क्र०सं०. 180 के अंतर्गत सूची I की क्र०सं०. 186 पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है । एचएस कोड 3002 के अंतर्गत आने वाली मदों पर उक्त सूची में विशेष रूप से कवर नहीं किए गए, उक्त अधिसूचना की अनुसूची II की क्र०सं०. 61 के अंतर्गत 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा ।

7.4 इस प्रकार, दो प्रविष्टियों के एक सामंजस्यपूर्ण पठन से तात्पर्य होगा कि सामान्य मानव प्लाज़मा पर सूची 1 (क्र0सं0. 186) के अंतर्गत 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी जबकि प्लाज़मा उत्पादों पर यदि अन्यथा उक्त सूची के अंतर्गत विशेष रूप से कवर न किया गया हो, तो 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी ।

8.1 बेबी वाइप्स, फेशील टिशूज़ और अन्य समान उत्पादों का उचित वर्गीकरण : बेबी वाइप्स, फेशियल टिशूज़ और अन्य समान उत्पादों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न अभिक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, और इन उत्पादों के सही वर्गीकरण के अनुरोध किए जाने के संदर्भ प्राप्त हुए हैं । संदर्भों के अनुसार, इन उत्पादों को वर्तमान में उद्योग द्वारा विभिन्न एचएस कोड अर्थात् 3307, 3401 और 5603 के तहत वर्गीकृत किया जा रहा है ।

8.2 वाणिज्यिक रूप से, वाइप्स को विभिन्न प्रकारों जैसे कि बेबी वाइप्स, फेशियल वाइप्स, कीटाणुशोधक वाइप्स, मेक-अप रीमूवर वाइप्स इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है । इन उत्पादों को आम तौर पर विस्कोस और पॉलीविस्कस मिश्रण के गैर-बुने हुए कपड़े का उपयोग करके बनाया जाता है और डीमिन्सलाइज़ड पानी और विभिन्न रसायनों और सुगंध से छिड़काव किया जाता है, जो उत्पाद को विशिष्टता प्रदान करता है । आधार कच्चे माल मॉडिस्चराइजिंग और क्लिन्जिंग एजेंट्स, संरक्षक, एक्वा बेस, शीतलन एजेंट, इत्र आदि हैं । कपड़ा सामग्री इन झाड़न/ पोंछन घटकों के एक वाहक माध्यम के रूप में मौजूद है ।

8.3 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए), 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या [जीआरआई -3 (बी)] के लिए सामान्य नियमावली के अनुसार, "मिश्रण, समय सामग्री जिसमें विभिन्न सामग्रियों या विभिन्न घटकों से बना होता है, और खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे सामान, जिसे 3 (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, को वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि वे सामग्री या घटक शामिल किए हुए थे जो उन्हें, जैसा कि यह मानदंड लागू होता है उनकी आवश्यक विशेषता देता है ।" चूंकि वर्गीकरण का निर्णय करते समय अनुच्छेद के प्राथमिक कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह स्पष्ट है कि उद्धृत मामले में वाइप्स की आवश्यक विशेषता को घटकों द्वारा प्रदान किया जाता है जो कपड़ा सामग्री के साथ मिश्रित किया जाना है ।

8.4 एचएसएन को व्याख्यात्मक नोट्स के अनुसार, एचएस कोड 5603 गैर-बुने हुए, प्रत्यारोपित, लेपित या पदार्थों या परफ्यूम या सौंदर्य प्रसाधन, साबुन या डिटरजेंट, पॉलिश, क्रीम या समान तैयारी जैसी तैयारियों को स्पष्ट रूप से वर्जित करता है। एचएसएन पुनः उत्पन्न किया गया है जो निम्नानुसार है:

“शीर्षक में निम्नलिखित को भी वर्जित किया गया है:

गैर-बुने, इम्प्रेग्नेटेड, लेपित या पदार्थ या तैयारी के साथ कवर किया [अर्थात् इत्र या सौंदर्य प्रसाधन (अध्याय 33), साबुन या डिटरजेंट (3401 शीर्षक), पॉलिश, क्रीम, या इसी तरह की तैयारी (3405 शीर्षक), कपड़े, सॉफ्टनर (शीर्षक 3809)] जहां कपड़ा सामग्री केवल एक वाहक माध्यम के रूप में मौजूद है। इसके अलावा, एचएस कोड 3307 में वेडिंग, फैल्ट और गैर बुना हुआ, प्रेरित, लेपित या इत्र या सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं। एचएस कोड 3401, पेपर, वेडिंग, फैल्ट और गैर बुना हुआ प्रत्यारोपित, लेपित या साबुन या डिटरजेंट से ढका हुआ होगा चाहे वह सुगंधित हो या नहीं”।

8.5 इसके अलावा एचएसएन हेतु स्पष्टीकरण नोट्स, शीर्षक 3307 में वेडिंग, फैल्ट और गैर-बुना हुआ प्रत्यारोपित, लेपित या इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों के साथ कवर किया हुआ शामिल है। इसी तरह, एचएसएन हेतु स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, शीर्षक 3401 में पेपर, वेडिंग, फैल्ट और गैर बुना हुआ प्रत्यारोपित, लेपित या साबुन या डिटरजेंट से ढके हुए वाइप्स, चाहे वे खुदरा बिक्री के लिए सुगंधित हों या नहीं, शामिल हैं।

8.6 इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाइप्स (यथा उल्लिखित) 3307 या 3401 शीर्षक के तहत वर्गीकृत हैं। अतः, अगर बच्चे के वाइप्स इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों के साथ इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं, तो वे एचएस कोड 3307 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागेगा। इसी प्रकार, यदि वे साबुन या डिटरजेंट से लेपित हों तो वे एसएच कोड 3401 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लागेगा।

9.1 वास्तविक ज़री कसाब (धागा) पर वर्गीकरण और लागू जीएसटी दर : कसाब धागे (एक धातुकृत धागा) पर वर्गीकरण और लागू जीएसटी दर के संबंध में कुछ संदेह किए गए हैं क्योंकि शीर्षक 5605 के अंतर्गत आने वाले यार्न पर अधिसूचना सं0.01/2017-केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची-II-12 प्रतिशत की प्रविष्टि 137 के अनुसार 12

प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि निर्दिष्ट कढ़ाई उत्पाद 5809 के अंतर्गत आता है और उल्लिखित अधिसूचना की अनुसूची-I प्रतिशत की प्रविष्टि सं०. 220 के अनुसार, 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है ।

9.2 शीर्षक 5809 और 5810 में कढ़ाई और ज़री माल आता है । इन शीर्षकों में किसी भी प्रकार के धागे को शामिल नहीं किया जाता है । अतः, जबकि ये शीर्षक कढ़ाई लेख, टुकड़े में, पट्टियों में, या रूपों में कढ़ाई पर लागू होते हैं, तो वे कसाब यार्न सहित यार्न पर लागू नहीं होते हैं ।

9.3 इसके अलावा सभी प्रकार के धातु यार्न या धागे टैरिफ शीर्षक 5605 के तहत वर्गीकृत हैं । कसाब (यार्न) इस शीर्षक के अंतर्गत आता है । शीर्षक 5605 के अंतर्गत, कोर यार्न अर्थात् शुद्ध रेशम और सूती और अंततः सोने के साथ गिल्ट पर रजत तार गिम्पड (विटाल) से निर्मित असली ज़री जीएसटी दर अनुसूची की अनुसूची-I-5 प्रतिशत की प्रविष्टि सं०. 218क में यथा निर्दिष्ट टैरिफ मद 5605 00 10 के अंतर्गत 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा । इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले अन्य माल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा । तदनुसार, कसाब (यार्न) पर नकली ज़री धागे (अनुसूची-II-12 प्रतिशत की क्र०सं०. 137) के साथ धागा, स्ट्रिप या पाउडर या धातु से ढके स्वरूप में धातु के साथ सम्मिश्रित कपड़ा यार्न होने के नाते अन्य धातुकृत यार्न, चाहे गिम्पड हो अथवा नहीं के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा । इसलिए, यह स्पष्ट किया गया है कि नकली ज़री धागा या धागा जिसे "कसाब" या व्यापार के समानता में किसी अन्य नाम से जाना जाता है पर टैरिफ शीर्षक 5605 के अंतर्गत एक समान 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी ।

10.1 **समुद्री इंजन पर जीएसटी की प्रयोज्यता:** समुद्री इंजन पर जीएसटी दरों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु संदर्भ प्राप्त किया गया है । मछली पकड़ने के जहाज शीर्षक 8902 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, और अधिसूचना सं०. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची । की क्र०सं०. 247 के अनुसार, 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है । इसके अलावा, उक्त अधिसूचना की अनुसूची । की क्र०सं०. 252 के द्वारा किसी अध्याय के अंतर्गत आने वाले शीर्षक 8902 के सामानों के भागों पर भी 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 8408 10 93 के अंतर्गत आने वाले मछली पकड़ने के जहाज के लिए समुद्री इंजन पर अधिसूचना सं०.

01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र०सं०. 252 के माध्यम से 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है।

10.2 अतः, यह स्पष्ट किया गया है कि टैरिफ मद 8408 10 93 के अंतर्गत आने वाले मछली पकड़ने वाले समुद्री इंजन (मछली पकड़ने वाले यान का एक भाग होने के नाते) की आपूर्ति पर 5 प्रतिशत का जीएसटी लगता है।

11.1 टैरिफ शीर्षक 9404 के अंतर्गत कपास रजाई पर लागू जीएसटी दर- "कपास रजाई" शब्द का दायरा।

11.2 टैरिफ शीर्षक 9404 के अंतर्गत आने वाली कपास रजाई पर, यदि इस तरह की सूती रजाई का बिक्री मूल्य 1000 रुपये प्रति नग [अधिसूचना सं०. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र०सं०. 257 क. के अनुसार] से अधिक न हो, 5 प्रतिशत जीएसटी की दर लगती है। तथापि, इस तरह की 1000 रुपये प्रति नग से अधिक मूल्य की कपास रजाई पर 12 प्रतिशत (उक्त अधिसूचना की अनुसूची II की क्र०सं०. 224क के अनुसार) की दर से जीएसटी लगती है। सूती रजाई, अर्थात् कपास के कवर के साथ कपास से भरी रजाई, या कपास से भरी हुई, लेकिन कुछ अन्य सामग्री से बना कवर, या कपास के अलावा अन्य सामग्री से भरी हुई को बनाने के लिए संदेह किए गए हैं।

11.3 मामले की जांच की गई है। कपास रजाई की आवश्यक विशेषता भरने वाली सामग्री द्वारा प्रदान की जाती है। अतः, रजाई के कवर की सामग्री के बावजूद, कपास से भरी रजाई, कपास रजाई का गठन करती है। जीएसटी दर तदनुसार लागू होगी।

12.1 बस संरचना निर्माण गतिविधि के लिए लागू जीएसटी दर: बस संरचना निर्माण गतिविधि की जीएसटी दरों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। इस तथ्य के कारण शंका उत्पन्न हुई है कि एक और जॉब कार्य सेवाओं पर लागू जीएसटी 18 प्रतिशत है, तो दूसरी और मोटर वाहनों की आपूर्ति पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।

12.2 शीर्षक 8702 के अंतर्गत आने वाली बसें [चालक सहित दस या दस से अधिक व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन] पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसके अलावा, बसों [8707] हेतु इंजन के साथ फिट की गई चैसिस [8705] और सम्पूर्ण संरचनाओं (कैब्स सहित) पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि जॉब कार्य के आधार पर बस संरचना के निर्माण की सेवाओं की ऐसी सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इस प्रकार, बसों के निर्माण में निम्नलिखित दो स्थितियां समाविष्ट हो सकती हैं:

क) बस बॉडी बिल्डर एक बस बनाता है, जो उसके स्वामित्व वाली चैसिस पर काम करता है और ग्राहक को बिल्ट-अप बस की आपूर्ति करता है, और बस के मूल्य के लिए ग्राहक को चार्ज करता है।

ख) बस बॉडी निर्माता बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई चैसिस पर बॉडी बनाता है, और फैब्रिकेशन शुल्क(जॉब कार्य की प्रक्रिया के दौरान उपभोग की गई कुछ सामग्री सहित) वसूलता है।

12.3 उक्त संदर्भ में, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 12.2(क) के मामले में आपूर्ति की गई बस का उल्लेख है, और तदनुसार आपूर्ति पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है। उपरोक्त 12.2(ख) में जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रिंसिपल (बॉडी निर्माता के कारण नहीं) द्वारा प्रदान की गई चैसिस पर बॉडी का फैब्रिकेशन, आपूर्ति सेवा के रूप में वर्गीकरण योग्यता होगी, और लागू होने पर 18% जीएसटी तदनुसार चार्ज किया जाएगा।

13.1 डिस्क ब्रेक पैड पर लागू जीएसटी दर: ऑटोमोबाइल के लिए डिस्क ब्रेक पैड का स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है। यह बताया गया है कि इन उत्पादों को वर्गीकृत किए जाने के अलग-अलग अभ्यासों का अध्याय 68 या 8708 शीर्षक में पालन किया जा रहा है। अध्याय 68 पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगता है, जबकि शीर्षक 8708 पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है।

13.2 शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के हिस्सों और सहायक उपकरण 8708 शीर्षक के तहत वर्गीकृत हैं और इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसके अलावा,

घर्षण सामग्री और इसके सामान (उदाहरण के लिए, चादरें, रोल, स्ट्रिप्स, सेगमेंट, डिस्क, वाशर, पैड), ब्रेक के लिए नहीं, घुमावदार या जैसे, एस्बेस्टोस के आधार पर, अन्य खनिज पदार्थों या सेलूलोज के आधार पर, चाहे वस्त्र या अन्य खनिज पदार्थों या सेलूलोज के साथ संयुक्त हो, चाहे वस्त्र या अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त हो, शीर्षक 6813 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है ।

13.3 उपर्युक्त संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि एच एस एन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, शीर्षक 8708 "ब्रेक्स (जूता, सेगमेंट, डिस्क, इत्यादि) और इसके कुछ हिस्से (प्लेट्स, ड्रम, सिलेंडरों, घुड़सवार लिनिंग, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि के लिए तेल जलाशयों) में ; सर्वो ब्रेक और इसके कुछ हिस्से आते हैं, जबकि अध्याय 68 में पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टोस, मीका या इसी तरह की सामग्री के सामान शामिल हैं । इसके अलावा, शीर्षक 6813 के एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, निम्न-लिखित को स्पष्टतः निकाला गया है:

- i) घर्षण सामग्री में खनिज सामग्री या सेलूलोज फाइबर (उदाहरण के लिए, जो कॉर्क के हैं) नहीं हैं;
- ii) माउंटेड ब्रेक लाइनिंग (डिस्क ब्रेक के लिए गोलाकार गुहाओं, छिद्रित जीभ या इसी तरह की फिटिंग के साथ प्रदान की गई धातु प्लेट की तय घर्षण सामग्री सहित) जिन्हें मशीनों या वाहनों के हिस्सों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनके लिए उन्हें डिजाइन (उदाहरण के लिए 8708 शीर्षक) किया गया है ।

13.4 इस प्रकार, यह स्पष्ट है, एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स को ध्यान में रखते हुए कि उक्त माल, अर्थात् ऑटोमोबाइल हेतु "डिस्क ब्रेक पैड" सीमा शुल्क 8708 के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकरणीय हैं और उन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगती है ।

14. कठिनाई, यदि कोई हो, को तत्काल ही बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय

डॉ० अजय कुमार
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)